कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः 407/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/20 दिनांक 26/03/2021

सेवा में,

श्री ....

वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी/
प्रधान/वरिष्ठ सहायक,
विभागाध्यक्ष कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

विषयः– स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र–2021 हेतु ऑन लाइन डाटा की सूचना एकत्रित करने के संबंध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के पत्र सं0–357/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/20 दिनांक 06.03.2021 एवं पत्र संख्या 358/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/20 दिनांक 08.03.2021

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपको आवंटित किये गये मुख्य अभियन्ता/वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों की दिनांक 15.03.2021 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कितने कार्मिकों की H.R.M. पोर्टल पर डाटा ऐन्ट्री की गई है। निर्धारित प्रारूप पर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आपके द्वारा दिनांक 15.03.2021 तक की पूर्ण सूचना से अवगत नहीं कराया गया है। उक्त कम में पुनः अवगत कराना है कि अपने से संबंधित आवंटित कार्यालयों की दिनांक 18.03.2021 से दिनांक 25.03.2021 तक की प्रत्येक दिवस किये गये डाटा ऐन्ट्री की सूचना (अवकाश के दिन को छोड़ते हुए) निर्धारित प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। चूंकि प्रकरण समयबद्ध है, जिस हेतु व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित पत्र के कम में आपके कार्यालयों द्वारा H.R.M. पोर्टल पर डाटा ऐन्ट्री पूर्ण अंकित नहीं की गई है। उक्त कम में संज्ञान में लाना है कि प्रकरण स्थानान्तरण एक्ट से संबंधित है, जो समयबद्ध है। उक्तानुसार दिनांक 18.03.2021 से 25.03.2021 प्रत्येक दिन की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–358/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/20 दि0 08.03.2021 जो कि समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं को भी पृष्ठांकित है, के द्वारा आवंटित नोडल अधिकारियों को उपलब्ध करायें यदि समयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा H.R.M. पोर्टल पर डाटा ऐन्ट्री पूर्ण अंकित नहीं की जाती है तो इस कारण स्थानान्तरण एक्ट के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही में समयबद्ध शारणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न न हो पाने की दशा में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष के साथ–साथ संबंधित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अधिकारी–कर्मचारियों की होगी, जिनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक डाटा ऐन्ट्री का कार्य सम्पन्न नहीं किया जायेगा।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/विश्व बैंक, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/3/21
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)